

## फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश बागोरा 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ सहायक
3. वर्तमान वेतन ₹250 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख 08 अगस्त 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किरा प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) इन्दौर	गृह 30x50' दो मंजिला	-	अनुमानित 20 लाख लगभग	स्वयं एवं पांच भाइयों का	पैत्रिक सम्पत्ति विरासत से प्राप्त	जिरेंडु स्वयं एवं भाइयों द्वारा उपभोग	इन्दौर स्थित मकान पैत्रिक है जिसमें पांच भाइयों का बराबरी से 20% की भागीदारी है। एवं स्टेट बैंक से प्राप्त (सिपुवत) लेबर गवर्निंग किपा
(2) भोपाल	-	गोखरेडा में प्लॉट 20x40	डेढ़ लाख लगभग	स्वयं के नाम	गैस कांड से प्राप्त राशि से क्रय किया। सम 1991 में 10 हजार रु. में।	जिरेंडु	

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर रमेश बागोरा

नाम रमेश बागोरा

पद वरिष्ठ सहायक